मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल –462004

भोपाल, दिनांक 29-6-09

क्रमांक एफ 73–10/2009/20–3

प्रति,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल
प्रीत बिहार, नई दिल्ली ।

विषय– अशासकीय शिक्षण संस्था सेंट फ्रांसिस हायर सेकेण्डरी स्कूल,भोपाल को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बध्दता हेतु अनापत्ती प्रमाण–पत्र देने के संबंध में ।

–––ooo–––

राज्य शासन द्वारा विषयांकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. से सम्बध्दता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तो पर दिया जाता है–

(1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बध्दता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय–समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निदेशों का पालन किया जायेगा ।

(2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा ।

(3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशो के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा ।

PRINCIPAL
St. Francis Hr. Sec. School
Church Road, Jehangirabad
Bhopal (M.P.)-462008

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी०डी० पडवार)
अवर सचिव
म०प्र०शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

//2//

क्रमांक एफ 73—10/2009/20—3 भोपाल, दिनांक 29-6-09

प्रतिलिपि:—

1— सचिव अशासकीय शिक्षण संस्था सेंट फ्रांसिस हायर सेकेण्डरी स्कूल,भोपाल (म0प्र0) को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र निम्न शर्तो पर प्रदान की जाती है—

(1) संस्था सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डो की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा ।

(2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण—पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ—पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नही करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय—समय पर दिए गए निदेशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जॉच मे सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण—पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

2— आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल ।

3— जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल म0प्र0 ।

4— ऑडर बुक ।

(हस्ताक्षर)

अवर सचिव

म0प्र0शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

(हस्ताक्षर)

PRINCIPAL
St. Francis Hr. Sec. School
Church Road, Jehangirabad
Bhopal (M.P.)-462008